

54

क्रमांक 3643 - II - 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-शिवपुरी

- 1- अजीत सिंह पुत्र श्री नारायण यादव
 - 2- पुनिया बेवा पुत्र श्री गोविन्द सिंह यादव
 - 3- गजराज सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह
 - 4- प्राण सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह
 - 5- लाल सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह
 - 6- इन्दर सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह
 - 7- रूप सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह
 - 8- रामसेवक पुत्र श्री सोनू राम
 - 9- इमरत सिंह पुत्र श्री सोनू राम
 - 10- कपूर सिंह पुत्र श्री सोनू राम
- निवासीगण-ग्राम इमलिया तहसील
खनियाधाना जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- पहलवान सिंह पुत्र श्री रतन सिंह यादव
 - 2- सिरावण बेवा सोनू राम यादव
 - 3- जयकुमार पुत्र श्री लालचन्द्र जैन
- निवासीगण - इमलिया तहसील खनियाधाना
जिला - शिवपुरी (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 124/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.10.2016 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, नायब तहसीलदार खनियाधाना के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत खाता क्रमांक 165 कुल किता 21 कुल रकवा 11.62 है 0 के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिसपर प्रकरण क्रमांक 40/05-06/अ-27 पंजीबद्ध कर सहमति से बंटवारा आदेश दिनांक 01.09.2006 पारित किया गया था।
- 2- यहकि, नायब तहसीलदार खनियाधाना के उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के न्यायालय के एक अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गयी थी। जोकि स्पष्टतः अवधि बाह्य थी ऐसी

दिनांक-20.10.16


20.10.16

337
20.10.16

W.Chal di
20/10/16

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक निगरानी 3643-दो/2016 जिला-शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमात्रों आदि के हस्ताक्षर
23.1.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री के० के० द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 124/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 7.10.16 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/03/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 29/3/19 कलेक्टर जिला शिवपुरी</p>	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>